

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 113/2024

- 1 अंगद कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2 पवन कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3 मुकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश साईं जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 4 विनोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. शंकर लाल पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. हंसराज पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. विजय लक्ष्मी पुत्री श्री शंकरलाल जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. कांता देवी पुत्री श्री शंकरलाल जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मन्जू देवी पुत्री श्री शंकरलाल जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. बसंती पुत्री श्री शंकरलाल जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. इन्द्रा देवी पुत्री श्री हंसराज जाति जाट साकिन 13 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 21/10/24

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता किया जाता है:-

क. वादी सं. 1 अंगद कुमार:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
13 एसटीबी	15/354	5, 6, 15, 16/2	0.838 हैक्.
	15/354	1/1,1/2, 10/1, 11/2, 20/1	

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

21/1, 22

1.202 हैक्.

कुल तादादी 2.040 हैक्.

ख.	वादी सं. 2 पवन कुमार :-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	13 एसटीबी	14/354	16/1/.190, 17 ता 24, 25/1	2.417 हैक्.
ग	वादी सं. 3 मुकेश कुमार को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	13 एसटीबी	14/354	7 ता 10, 15/2/.1015 उत्तरी	1.1135 हैक्.
घ	वादी सं. 4 विनोद कुमार को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	13 एसटीबी	14/354	11 ता 14, 15/2/.1015 दक्षिणी	
			16/1/.013	1.1265 हैक्.
ङ	प्रतिवादी सं. 2 हंसराज को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	5 बीआरपी	14/356	19/2, 20/2, 21, 22	0.716 हैक्.
	13 एसटीबी	14/353	23/1/.013 उत्तरी	0.013 हैक्.
च.	प्रतिवादी सं. 3 ओमप्रकाश को घरु बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	13 एसटीबी	14/353	21/1, 22/2, 23/1/.215	
			दक्षिणी, 24/1, 25/2	0.886 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
 उपखण्ड अधिकारी एवम्
 पदेन सहायक कलक्टर
 पीलीबंगा